

**बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग**

का0आ0सं0:-भवन/स्था0-01-विविध-939/2013.....74722...../पटना, दिनांक- 28/3/23

कार्यालय आदेश

मुख्य सचिव, बिहार, पटना के पत्रांक-4841 दिनांक 19.09.2014 के आलोक में राज्य में सुशासन के कार्यक्रम के तहत भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए "जीरो टॉलरेंस" की नीति के अधीन प्रशासन के प्रत्येक स्तर पर निरोधात्मक कार्रवाई एवं भ्रष्ट लोक सेवकों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई करने हेतु भवन निर्माण विभाग में कार्यरत निगरानी प्रशाखा-10 एवं 11 के द्वारा पूर्व आवंटित कार्यों के अतिरिक्त मुख्य निगरानी पदाधिकारी के अधीन एवं उप सचिव, निगरानी के नियंत्रण में निगरानी कोषांग के रूप में भी कार्य किया जायेगा एवं कोषांग के रूप में किये गये कार्यों का संधारण अलग से किया जायेगा।

2. तदनुसार विभागीय का0आ0सं0-236-सह-पठित ज्ञापांक-5632 दिनांक-26.06.2019 द्वारा गठित निगरानी कोषांग को विलोपित किया जाता है।

3. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

(राजेश कुमार सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:- 2727 (अ)

पटना, दिनांक:- 28/3/23

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव, बिहार के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, निगरानी विभाग/सचिव, भवन निर्माण विभाग के आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव/सभी संयुक्त सचिव/सभी उप सचिव/अवर सचिव/सभी मुख्य अभियंता/मुख्य वास्तुविद्/मुख्यालय स्थित सभी राजपत्रित पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी, निगरानी प्रशाखा-10 एवं 11/सभी संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी/आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. निगरानी प्रशाखा के सभी पदाधिकारी/कर्मचारी अपने मूल कार्यों के अतिरिक्त कोषांग का भी कार्य करेंगे।

सरकार के संयुक्त सचिव।